महात्मा गॉधी स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय, इन्दौर (म.प्र.)

(सुपर स्पेशिलिटी अस्पताल इन्दौर)

कार्यालय दूरभाष:–0731–2527383, 2527679 ईमेल:– deanliabrary@gmail.com

फैक्स नंबर:– 0731–2514628 वेबसाईट:– www.mgmmcindore.in

क्रमांक............../स्था./स्वशासी/सु.स्पे./2022 इन्दौर, दिनांक

//कार्यालयीन आदेश//

संचालनालय चिकित्सा शिक्षा म.प्र. भोपाल द्वारा चिकित्सा महाविद्यालय, इन्दौर में सुपर स्पेशिलिटी चिकित्सालय हेतु सह–चिकित्सकीय संवर्ग के स्वीकृत पदों की अनुसूची प्राप्त होने के पश्चात् एवं म.प्र. शासन चिकित्सा शिक्षा विभाग मंत्रालय भोपाल के पत्र कमांक एफ–2–20/2020/1/55 भोपाल दिनांक 17.11.2020 द्वारा अनुमति प्राप्त हुई।

उपरोक्तानुसार सह–चिकित्सकीय संवर्ग के स्वीकृत पदों पर आरक्षण रोस्टर हेतु गठित समिति द्वारा तैयार कर उपयुक्त आदिम जाति विभाग से अनुमोदन प्राप्त किया गया। महात्मा गॉधी स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय सुपर स्पेशिलिटी चिकित्सालय, इन्दौर में सह चिकित्सकीय संवर्ग के रिक्त पदों हेतु कार्यालयीन पत्र क्रमांक 19522/एस.एस./स्था/अवि/2021 इन्दौर दिनांक 30.11.2021 द्वारा एम.पी. ऑनलाईन के माध्यम से विज्ञापन जारी किया गया था। एम.पी. ऑनलाईन द्वारा दिनांक 30.01.2022 को परीक्षा का आयोजन किया गया एवं परीक्षा उपरांत उत्तीर्ण आवेदकों की मेरिट सूची एम.पी. ऑनलाईन द्वारा ई–मेल के माध्यम से चिकित्सा महाविद्यालय को प्रेषित की गई है। अभ्यर्थियों की नियुक्ति अध्यक्ष चयन समिति अनुमोदन उपरांत गठित चयन समिति द्वारा चयनित अभ्यर्थी को निर्धारित वेतनमान में कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से आगामी आदेश तक निम्नानुसार **सुपर स्पेशिलिटी चिकित्सालय, इन्दौर में अनन्तिम रूप से (प्रोविजनल) पदस्थ किया जाता है।**

S.N.	NAME	CATEGORY	SELECTION CATEGORY	POST	PAY SCALE
1	VIKAS KUMAR SHRIVASTAVA S/o SHIVSHANKAR SHRIVASTAVA	UR	UR	EEG TECHNICIAN	520020200+2800

आपकी नियुक्ति निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगी:–

1. चयनित प्रत्याशी को कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व अथवा कार्यभार ग्रहण करने के तत्काल पश्चात् जिला चिकित्सा मण्डल के समक्ष उपस्थित होकर स्वास्थ्य परीक्षण कराना होगा एवं स्वस्थ्यता प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा।
2. म.प्र. सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) तथा म.प्र. शासन के अन्य नियम लागू होंगे।
3. म.प्र. शासन वित्त विभाग की अधिसूचना कं. एफ–9/3/2005/नियम/चार दि. 02.04.05 के अनुसार आप पर मध्यप्रदेश सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1976 लागू नहीं होंगे। मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग की अधिसूचना कं. एफ–5/1/2005/नियम/चार, दि. 02.04.05 के अनुसार म.प्र. सामान्य भविष्य निधि नियम भी लागू नहीं होगें।
4. चयनित प्रत्याशी को आदेश जारी होने के दिनांक से अधिकतम 15 दिवस में अनिवार्यतः कार्यभार ग्रहण करना होगा। कार्यभार ग्रहण न करने की दशा में अनुबंध अनुसार अग्रेतर कार्यवाही की जावेगी।
5. आपकी सेवायें किसी भी समय नियोक्ता द्वारा एक माह का नोटिस देकर या उसके एवज में एक माह का वेतन तथा भत्ते देकर समाप्त की जा सकेगी।
6. म.प्र. शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय भोपाल के ज्ञाप कमांक सी 3 –13/2019/3/ एक भोपाल दिनांक 12. 12.2019 में दिये गये निर्देशानुसार इन्हे तीन वर्ष की परीविक्षा अवधि मे उस पद के वेतनमान के न्यूनतम का प्रथम वर्ष 70:, द्वितीय वर्ष 80: एवं तृतीय वर्ष 90: राशि स्टायपेंड के रूप में देय होगी। परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण करने पर वेतनमान में वेतन दिया जाना प्रारंभ किया जाएगा ।
7. आपके द्वारा प्रस्तुत कोई भी प्रमाण–पत्र/अभिलेख गलत पाये जाने पर नियुक्ति आदेश स्वमेव निरस्त माना जावेगा।
8. इस नियुक्ति में अनुसूचित जाति/जनजाति/अपिव/महिला के पदों के आरक्षण संबंधी प्रावधानों को ध्यान में रखा गया है।

Scanned with CamScanner

आपकी नियुक्ति इस स्वशासी संस्था के सेवा शर्तों के अधीन होगी, संस्था अपनी सेवा शर्तों में आंशिक सुधार एवं परिवर्तन कर सकेगी।

10. एक बार इस संस्था में नियुक्ति होने के पश्चात् आपकी सेवाऐं अन्य संस्थाओं को स्थानांतरित नहीं होगी।
11. उपस्थिति दिनांक को संपूर्ण प्रमाण–पत्र, उपाधियाँ एवं अन्य प्रमाण–पत्र की अभिप्रमाणित छायाप्रतियों जमा करना होगी तथा मूल प्रतियाँ प्रस्तुत करना होगी।
12. संस्था के किसी भी कर्मचारी को राजनैतिक अथवा किसी भी अवैध गतिविधियों में भाग लेने की अनुमति नहीं है।
13. आपको कार्य पर उपस्थित होते समय अथवा उपस्थित दिनांक के 3 माह के भीतर सह चिकित्सकीय परिषद् का रजिस्ट्रेशन का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है अन्यथा आपकी सेवायें स्वतः ही समाप्त मानी जावेगी।
14. चयनित प्रत्याशी की नियुक्ति पुलिस वैरिफिकेशन में उपयुक्त पाये जाने के उपरांत ही मान्य होगी।
15. संबंधित का कार्य एवं व्यवहार उचित न पाये जाने पर तथा हडताल आदि में भाग लेने पर सेवायें समाप्त की जा सकेगी।
16. शासन द्वारा समय–समय पर दिये गये निर्देशानुसार सेवा शर्तों में परिवर्तन किये जा सकते है। यह परिवर्तन वेतन संबंधी शर्तों में भी हो सकता है।
17. भविष्य में यदि कभी भी अर्हता संबंधी कोई भी जानकारी असत्य पाई जाती है तो सेवा समाप्त की जा सकेगी।
18. आपको कार्य पर उपस्थित होते समय जन्मतिथि बाबद प्रमाण पत्र, शैक्षणिक योग्यता संबंधित प्रमाण–पत्र की छायाप्रति एवं अन्य वांछित प्रमाण–पत्र, दो सेवा पुस्तिका तथा रू.3/– का ट्रेजरी चालान प्रस्तुत करना होगा।
19. आपको न्यूनतम 03 वर्ष की सेवाऐं देने हेतु अनुबंध सह प्रतिभूति पत्र निष्पादित करना होगा। सेवा अनुबंध सह प्रतिभूति पत्र में निहित शर्तों का पालन न करने पर आपकों 01 वर्ष के वेतन/मानदेय के बराबर की राशि इस शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, इन्दौर को चुकानी होगी। यह देय राशि संबंधित से भू–राजस्व की बकाया की भांति वसूली योग्य होगी।
20. संबंधित को नियुक्ति हेतु शपथ–पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

(डॉ. संजय दीक्षित)
मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता
म.गॉ. स्मृति चिकि. महावि. एवं संबद्ध
चिकित्सालय,(स्वशासी संस्था) इन्दौर

7540-46

पृ. कमांक................/स्था./स्वशासी/सु.स्पे./2022 इन्दौर, दिनांक 17/5/22

प्रतिलिपिः– सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. प्रमुख सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल।
2. आयुक्त, चिकित्सा शिक्षा म०प्र० भोपाल।
3. प्रभारी अधिकारी, सुपर स्पेशिलिटी अस्पताल इन्दौर।
4. लेखा शाखा स्थानीय कार्यालय, इन्दौर।
5. सिविल सर्जन गोविन्द वल्लभपंत मेडिकल बोर्ड जिला चिकित्सालय, धार रोड इन्दौर।
6. संबंधित की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
7. कार्यालय आदेश नस्ति ।

(डॉ. संजय दीक्षित)
मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता
म.गॉ. स्मृति चिकि. महावि. एवं संबद्ध
चिकित्सालय,(स्वशासी संस्था) इन्दौर

Scanned with CamScanner